अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF TOURISM

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	2405,27,00	708,51,68	-1696,75,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1630,76,71

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	216382.00	75892.29	69948.46	-5943.83
पु.	R.	-140489.71			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	22700.00	..	..	..
पु.	R.	-22700.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments		527.00	..	-527.00

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹37755.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹37454.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹37755.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹37454.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3452” – “पर्यटन अवसंरचना” –

(क) “पर्यटन केंद्र – प्रतिष्ठित पर्यटन गंतव्यों का विकास” – ₹13000.00 लाख – योजना को अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण।

(ख) “पर्यटक आवास – बाजार अनुसंधान” – ₹1000.00 लाख – योजना और सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के साथ आमेलन के कारण।

(ग) “आरक्षित निधियों को अंतरण – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य” – ₹527.00 लाख – निधियों का अंतरण नहीं होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “सामान्य – (पर्यटन) – प्रशिक्षण – आई एच एम/एफ सी आई/आई आई टी टी एम/एन सी एच एम सी टी को सहायता” – ₹1200.00 लाख; और

(ख) “पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का स्वदेश दर्शन एकीकृत विकास” – ₹21200.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक गंतव्य” – ₹527.00 लाख – राज्य सरकारों से दावे प्राप्त नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “3452” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(A) Major Head “3452” - “Tourist Infrastructure” -

(a) “Tourist Centres - Development of Iconic Tourist Destinations” - ₹13000.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(b) “Tourist Accommodation - Market Research” - ₹1000.00 lakhs - due to merger of the scheme with Capacity Building for Service Provider.

(c) “Transfer to Reserve Fund - Safe Tourist Destination for Women” - ₹527.00 lakhs - due to non-transfer of funds.

(B) Major Head “2552” -

(a) “General - (Tourism) - Training - Assistance to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT” - ₹1200.00 lakhs; and

(b) “Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Swadesh Darshan Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits” - ₹21200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Safe Tourist Destinations for Women” - ₹527.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the State Governments.

(II) Under Major Head “3452” - savings occurred under the following heads:-

(का) "पर्यटक अवसंरचना" –

(क) "पर्यटक केंद्र" –

(i) "पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय अभिकरणों को सहायता" – ₹2514.17 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड प्रतिबंधों और लाकडाउन की वजह से चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति/निधियों के उपयोग की धीमी गति के कारण हुई।

(ii) "स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास" – ₹70548.92 लाख की बचत (₹87130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (पी आर ए एस एच ए डी)" – ₹14350.46 लाख की बचत (₹23500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास" – ₹7967.93 लाख की बचत (₹9800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियों के उपयोग की धीमी गति और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्र देरी से प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ग) "पर्यटक आवास – कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना" – ₹1090.14 लाख की बचत (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Tourist Infrastructure" -

(a) "Tourist Centres" -

(i) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - saving of ₹2514.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing projects/slow pace of utilization of funds owing to COVID restrictions and lockdown.

(ii) "Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - saving of ₹70548.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87130.00 lakhs);

(iii) "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)" - saving of ₹14350.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23500.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - saving of ₹7967.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow pace of utilization of funds by the implementing agencies and late receipt of utilization certificates.

(c) "Tourist Accommodation - Loan Guarantee Scheme for COVID Affected Tourism Service Sector" - saving of ₹1090.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(खा) “सामान्य” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय” – ₹1729.69 लाख की बचत (₹3793.72 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यटक कार्यालय, न्यूयार्क में रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और किराये के लिए कम निधियों की आवश्यकता, विदेशों में भारतीय पर्यटक कार्यालय बंद होने के कारण कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “प्रशिक्षण” –

(i) “सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण” – ₹1829.16 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षुओं को नहीं जुटा पाने के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ii) “आई एच एम/एफ सी आई/आई आई टी टी एम/एन सी एच एम सी टी को सहायता” – ₹600.01 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) “संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय” – ₹34186.89 लाख की बचत (₹40900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, समुन्द्रपारीय संवर्धन एवं बाजार विकास योजना को अनुमोदन नहीं मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) उपर्युक्त एक शीर्ष के अंतर्गत ₹381.69 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत है।

2. बचतें मुख्य शीर्ष “3452” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(B) “General” -

(a) “Direction and Administration - Tourist Offices Abroad” - saving of ₹1729.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3793.72 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in Tourist office, New York and requirement of less funds towards rent, receipt of less medical claims owing to closure of India Tourist Offices abroad.

(b) “Training” -

(i) “Capacity Building for Service Provider” - saving of ₹1829.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-conduction of training owing to non-mobilization of trainees.

(ii) “Assistance to IHMs/FCI/IITTM/NCHMCT” - saving of ₹600.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies.

(c) “Promotion and Publicity - Direct Expenditure” - saving of ₹34186.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-approval of Overseas Promotion and Market Development scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under one head saving of ₹381.69 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were offset by excess under Major Head “3452” under the following heads:-

(I) "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – चेम्पियन सेवा क्षेत्र योजना" – ₹2917.20 लाख का अधिक व्यय (₹10154.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक संख्या में दावे प्राप्त होने और आर सी एस – यू डी ए एन के तहत मार्गों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण हुआ।

(II) "सामान्य – निर्देशन और प्रशासन – पर्यटन महानिदेशालय" – ₹667.75 लाख का अधिक व्यय (₹4899.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) स्टाफ को आउटसोर्स किए जाने, आई टी डिजिटल उपकरण, स्टेशनरी मदों की खरीद और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चंद्रलोक भवन के किराये में वार्षिक वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Champion Services Sector Scheme" - excess of ₹2917.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10154.00 lakhs) was due to receipt of more claims and increase in number of routes under RCS-UDAN.

(II) "General - Direction and Administration - Directorate General of Tourism" - excess of ₹667.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4899.09 lakhs) was due to outsourcing of staff, procurement of IT Digital equipment, stationery items and annual increase of rent of Chanderlok Building by New Delhi Municipal Corporation.